भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. **5018**

23.03.2026 को उत्तर के लए

वन संरक्षण

5018. श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री अतुल गर्गः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शंदेः
श्री र वन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार देश में, वशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, वनों को पर्यावरणीय स्थिरता, जैव व वधता के संरक्षण और जलवायु संबंधी सुनम्यता में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिसंप त्तयों के रूप में मान्यता देती है;

(ख) देशभर में वन संरक्षण, वनीकरण और संवहनीय वन प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु कए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन पारिस्थितिकी प्रणा लयों और संबद्ध सांस्कृतिक वरासत के अनुसंधान, प्रलेखीकरण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लए पहल की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्वनीकरण, अवैध कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से निपटने के लए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और संवहनीय पारिस्थितिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में वन संरक्षण की अपे क्षत भू मका क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) जी हाँ, सरकार वनों को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिसंप त्तयों के रूप में मान्यता देती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने, जैव व वधता के संरक्षण तथा देशभर में, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य भी शा मल हैं, जलवायु अनुकूलता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भू मका निभाते हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन सहित वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने के लए केंद्र सरकार की व भन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वत्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें अन्य बातों के

साथ-साथ राष्ट्रीय हरित भारत मशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तटीय आवास एवं ठोस मूर्त आय के लए मैंग्रोव पहल (मष्टि), प्रतिपूरक वनीकरण नि ध प्रबंधन एवं योजना प्रा धकरण (कांपा), वन्यजीव पर्यावासों का समे कत वकास, तथा वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजनाएँ शा मल हैं। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी पारिस्थितिक, जलवायु और भौगो लक परिस्थितियों के अनुसार राज्य- व शष्ट वनीकरण, पुनर्वनीकरण और वन संरक्षण योजनाओं को लागू करते हैं।

इसके अलावा, वश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और वर्तमान वर्ष में भी देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करने के लए एक वृक्षारोपण अ भयान "एक पेड़ माँ के नाम # Piant4Mother" शुरू कया गया है। यह अ भयान देश में हरित आवरण बढ़ाने के लए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ “सम्पूर्ण सरकार” और “सम्पूर्ण समाज” दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अ भयान ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है, जिससे देश में हरित आवरण के वस्तार में सहायता मली है।

मंत्रालय, वानिकी एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र से संबं धत अनुसंधान, प्रलेखन तथा शैक्ष णक कार्यकलापों को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शक्षा परिषद तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। ये संस्थान वन प्रबंधन, जैव व वधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, प्र शक्षण, परामर्शी सेवाएं और ज्ञान प्रसार का कार्य करते हैं।

(घ) और (ङ) वन का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। देश के वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लए कानूनी ढांचे हैं जिनमें भारतीय वन अ धनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम 1980 और राज्य वन अ धनियम, वृक्ष संरक्षण अ धनियम और नियम आदि शा मल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अ धनियमों/नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों के अधीन वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा करने और वनों की कटाई, अवैध लॉ गंग का समाधान करने के लए उ चत कार्रवाई करते हैं।

भारत ने पहली बार वर्ष 2015 में अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत कया है, और अगस्त, 2022 में इसे अद्यतन कया है। एनडीसी के तहत लक्ष्यों में से एक वर्ष 2030 तक बढ़े हुए वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से बराबर 2.5-3 बि लयन टन सीओ का अतिरिक्त कार्बन संक बनाना है।

सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय हरित भारत मशन लागू कर रही है। यह मशन वन क्षेत्र में वृद् ध करने, वकृत वनों को बहाल करने और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2023 के अनुसार, वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बि लयन टन के एनडीसी लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2005 और 2021 के बीच 2.29 बि लयन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन संक बनाया गया है।
